तारीख पेशी	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19/2/25	पत्रावली पेश। वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 26/02/2025 को पेश हो।	
26/3/25	पत्रावली पेश। वास्ते बहस पत्रावली दिनांक- 21/5/2025 को पेश हो।	
21/5/25	**पत्रावली पेश। अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्थगित रखे जाने से पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दिनांक...2/7/25... को पेश हो।**	
2/7/25	पत्रावली पेश। वास्ते बहस दिनांक - 30/7/25 को पेश हो।	
30/7/25	**पत्रावली पेश। पीठासीन अधिकारी दौरे/ मिटींग/ V.C. मे व्यस्त होने से पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दिनांक...3/9/25... को पेश हो।**	
3/9/25	पत्रावली पेश। वास्ते बहस दिनांक- 15/10/2025 को पेश हो।	
15/10/25	पत्रावली पेश। वास्ते बहस दिनांक - 30/10/25 को पेश हुई। पुनश्च: बहस वकील पक्षकार सुनी गई। वास्ते आदेश दिनांक - 30/10/25 को पेश हो।	
30/10/25	पत्रावली पेश। दोनो बहस वकील	

FORM NO. III
फर्द अहकाम
(निमय 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम हिण्डोली

....

किस्म मुकदमा.....................................नं.......................सन्.................

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रार्थी ने कथन किया की प्रा०पत्र की चरण सख्या -2 मे भूमि का वर्णन है। उक्त भूमि पूर्व मे वादी के पिता के नाम दर्ज थी। मृत्यु के बाद इतंकाल खुलाया। वसीयतनामा वादी व अप्रार्थी स०1 के नाम किया हुआ था। फौती इतंकाल से अप्रार्थी स० 2 लगायत 5 का नाम दर्ज हो जाने से भूमियो को खुर्द-बुर्द, बेचान पर आमदा है। दावा के दौरान T.I. जारी की जावे। खण्डन में वकील अप्रार्थीगण ने कथन किया इन्होंने घोषणा का वाद 5 साल बाद पेश किया है। विवादित भूमि मे मौके पर 5 लोगो का ही कब्जा है। कथित वसीयतनामा फर्जी व कूटरचित है। हम फौती इतंकाल से सहखातेदार दर्ज हुये है व पूर्व मे हुये बंटवारेनुसार ही मौके पर काबिज काश्त है। प्रा०पत्र खारीज किया जावें। खण्डन में पुनः वकील प्रार्थी ने कथन किया की वसीयत फर्जी है या नही का निर्धारण साक्ष्योपरान्त होना है। अप्रार्थी स०1 मानसिक रूप से अस्वस्थ है। दौराने वाद भूमियो को संरक्षित रखा जावें। हमने बहस वकील पक्षकारान पर मनन कर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया। विवादित भूमि खाता न०	
उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली		

	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	12 के ख०नं० 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2091, 2092 कुल किता 9 कुल रकबा 1.0442 हैक्टेयर वाके ग्राम हिण्डोली प०म० हिण्डोली प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 to 5 की सहखातेदारी मे अंकित है। जो कि विरासत नामा० से दर्ज हुई है। प्रकरण के गुणावगुण पर निर्णय के लिये निर्धारित तीनों बिन्दुओं पर न्यायालय विवेचन निम्न प्रकार है :-	
1.	प्रथम दृष्टया मामला :- विवादित भूमि खाता नम्बर 12 ग्राम हिण्डोली मे अंकित भूमियाँ प्रार्थी की स्वयं की खातेदारी में अंकन ना होकर अप्रार्थीगण की सहखातेदारी मे दर्ज रिकॉर्ड है, जो कि विरासत नामा० से दर्ज हुई है। सहखातेदार के विरुद्ध स्थाई T.I. जारी करना विधिक रूपसे उचित प्रतीत नही है। ऐसी स्थिति मे प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष मे नही बनता है।	
2.	सुविधा सन्तुलन का सिद्धान्त :- सहखातेदारी भूमि मे अन्य सहखातेदार के विरुद्ध उसके हिस्से के उपभोग - उपभोग मे T.I. चाहे जाने का अनुतोष पोषणीय नही होने से सुविधा सन्तुलन का सिद्धान्त भी प्रार्थी के हक मे नही बन रहा है।	
3.	अपूरणीय क्षति की सम्भावना - विवादित भूमि में दर्ज सहखातेदारान द्वारा अपने हिस्से की भूमियो का उपयोग - उपभोग करने का स्वत्व/अधिकार प्राप्त होने से व अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के हिस्से में कोई दखलंदाजी नही करने से प्रार्थी को कोई अपूरणीय क्षति की सम्भावना प्रतीत नही होती है। उपरोक्त तीनो बिन्दुओं पर बारीकी	

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म की मैं जारी
	गये विवेचनानुसार मामला प्रार्थी के पक्ष में नहीं बनने, सुविधा सन्तुलन का सिद्धान्त भी प्रार्थी के हक मे नहीं होने व प्रार्थी को कोई अपूरणीय क्षति की सम्भावना नहीं होने से प्रकरण खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।	
	[signature] उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली	

न्यायालय श्री
प्रार्थना प
1.